

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

मु.संख्या 112/2019

रामसिंह बनाम गोपाल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :- 7.11.19

यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्री हरि शंकर सिंह एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 29.11.19 को पेश हो।

दिनांक 29-11-2019

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी के वकील ने अपने वाद को नोट प्रेस किया।

अतः वादी का वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

Not Press by
उरुल
29/11/19